जो गलतियां उधर बैठकर आप करते थे हम उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं ।

SPECIAL MENTIONS

Delay in mplementation of of Manisana Ayog Report and subsequent delay in increase in wages of Journalists and Media professionals

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): सभापति महोदय, एक विशेष उल्लेख के द्वारा मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सभापति महोदय, इस देश में समाचार-पत्रों से जुड़े हुए पत्रकार, दृश्य-श्रृव्य मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, समाचार-पत्रिकाओं से जुड़े हुए पत्रकार हैं जिनके वेतनमानों में पिछले दस वर्षों से किसी तरह का कोई रिवीजन नहीं हुआ है । जो आंतरिक सहायता दी गई थी वह भी बहुत कम थी । आज उनकी स्थिति यह है कि उनके लिए घर-गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है, आर्थिक तंगी इतनी है कि एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते वे अपनी भूमिका निभाने के लिए अनेक कष्ट भुगत रहे हैं । इसीलिए मणिसाना आयोग की बात की गई थी । उसने इतना अधिक समय ले लिया तथा उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बछावत आयोग को जब लागू किया गया तो इस देश के 90 प्रतिशत अखबारों ने उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया । आज भी पत्रकारों को उसके अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है । इस संदर्भ में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि यदि कोई पत्रकारों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन न दे तो उन अखबारों के मालिकों के ऊपर केवल दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपये का जुर्माना होता है, यह भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रहा है । मेरा इस बारे में सुझाव है कि बछावत आयोग की रिपोर्ट या भविष्य में जितने भी रिपोर्टें आएं उनके अनुसार यदि समाचार-पत्रों के मालिक अपने पत्रकारों को वेतन न दें तो उन समाचार-पत्रों के लिए उनसे संबंधित, भारत सरकार से संबंधित और राज्य सरकार या और जितने उपक्रम हैं उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जो अपने पत्रकारों को बराबर वेतन न दें ।

मेरा दूसरा सुझाव है कि वर्किंग जनर्लिस्ट ऐक्ट में संशोधन करके सुचारू रूप से कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, श्री ओंकार सिंह लखावत ने जो विषय रखा है पत्रकारों के वेतन के संदर्भ में मैं स्वयं को उससे संबद्ध करते हुए माननीय श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 22 फरवरी, 1999 को उन्होंने बयान दिया था,

जो अखबार में भी आया था और जिसकी एक कटिंग मेरे पास है। Wage Board Report by March 31st: The Manisana Singh Wage Board for working journalists and non-working journalists will submit its final report by March 31st, Union Labour Minister Satyanarayan Jatia said on Sunday. मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, कितने महीने गुजर गये और अब दिसम्बर का महीना है । संयोग से मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जस्टिस राजकुमार सिंह मणिसाना की रिपोर्ट कहां है ? आयोग की स्थिति क्या है ? आयोग को एक्सटेंशन दिया गया है या नहीं दिया गया है ? यह सब बातें मैं एक श्रमजीवी पत्रकार होने के नाते सदन में रख रहा हूं । हिन्दुस्तान के तमाम पत्रकारों की तरफ से मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दस वर्ष बछावत आयोग की रिपोर्ट लागू किए हुए हो गए हैं । इन दस वर्षों में देश के प्राइस इंडेक्स में तरह-तरह के बदलाव हुए हैं, मूल्य वृद्धि हुई है । बछावत आयोग की अनुशंसाएं पूरी तरह से लागू नहीं हुई हैं । कुछ बड़े अखबारों ने लागू की हैं लेकिन कुछ छोटे अखबार भी हैं जिन्होंने लागू नहीं की हैं । सबसे पहले तो यही कहूंगा कि बछावत आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में श्रम मंत्रालय निर्णय ले और तमाम अखबार मालिकों को निर्देश दे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अलग अलग कामगार समुदायों के लिए पिछले 10 वर्षों में कई वेतन बोर्ड बने लेकिन पत्रकारों के लिए जो वेज बोर्ड बना है, उस वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशंस को लागू करने के लिए क्यों टालमटोल की जा रही है ? पिछले 10 वर्षों में पत्रकारों का वेतन एक बार भी रिवाइज़ नहीं हुआ है । मैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह बताना चाहूंगा कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए ज़बरदस्त लॉबिंग हुई । मंत्रालय पर, सदन में और हर जगह हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की लॉबी ने दबाव डाला और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया । लेकिन पत्रकारों के वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि पत्रकारों के लिए कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है । पत्रकारों के लिए सदन में किसी तरह की बात नहीं होती, सदन के बाहर भी कोई नहीं बोलता । मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या मणिसाना आयोग डिफंक्ट हो चुका है या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और यदि बढ़ाया जा रहा है तो कब तक बढ़ाया जा रहा है ? हो सके तो सदन में आज आश्वासन दे कर मंत्री महोदय यहां से जाएं कि मणिसाना आयोग की रिपोर्ट कब तक लागू कर दी जाएगी । मणिसाना आयोग की सिफारिशों में अगर बदलाव की आवश्यकता हो और पत्रकारों के प्रतिनिधि यदि चाहते हैं तो उन बदलावों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए उस रिपोर्ट को लागू किया जाए । मैं बताना चाहूंगा कि आज

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के वेतन में भी एक तरह का भेदभाव है । अंग्रेजी के पत्रकारों का वेतन कुछ और होता है और अन्य भारतीय भाषाओं हिन्दी, मराठी, गुजराती और बंगला आदि भाषाओं के पत्रकारों का वेतन अलग होता है । इस भेदभाव को दूर करने के लिए इस मणिसाना आयोग को कुछ सजेशन दिये जाने चाहियें ताकि हर तरह के पत्रकारों को एक तरह का वेतन मिले क्योंकि जितना श्रम, जितनी मेहनत अंग्रेजी के पत्रकार करते हैं उतना ही श्रम अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकार भी करते हैं । बिलकुल उसी तरह से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों की स्थिति है । इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों को जितना वेतन मिलता है, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को उतना वेतन नहीं मिलता है जबकि दोनों मीडिया के पत्रकारों की मेहनत और परिश्रम लगभग बराबर हैं । सरकार की तरफ से मणिसाना आयोग को यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि हर तरह के पत्रकारों का वेतन समान हो । हर तरह के पत्रकारों के वेतन को समान करना इसलिए भी जरूरी है कि सब का जीवन स्तर एक ही है, सब की मेहनत एक ही है, समाज के बाकी समुदायों का जो जीवन स्तर है, उसके बराबर जीने की सहूलियतें देने के लिए पत्रकारों के वेतन आयोग की रिपोर्ट तत्काल मंगाई जाए और उसको लागू किया जाए । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए इस संदर्भ में सदन का भी सहयोग चाहूंगा । माननीय श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, माननीय चेयरमैन साहब अगर उनको कह सकें तो बहुत मेहरबानी होगी ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करती हूं ।

श्री एम. वेंकैया नायडु (कर्णाटक) : संजय भाई बड़ा सुंदर बोले हैं ।

श्री संजय निरुपम : चेयरमैन साहब, श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । आप उन्हें कह सके तो मेहरबानी होगी ।

MR. CHAIRMAN: पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे । I cannot ask him now. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम : मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहें तो उठ कर बोलिये । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं नहीं कहूंगा,, आपकी इच्छा हो तो बोल दीजिये । ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम : मैं उनके अन्दर इच्छा पैदा कर रहा हूं ताकि वह बोलें। ...(**व्यवधान**)

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, it will be a wrong precedent. ..*(Interruptions)*... If this is done now, then we will also be entitled to know the reaction of the Government. ...*(Interruptions)*... यह नया प्रेसिडेंट क्रियेट कर रहे हैं । जब हम सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि कुछ मत बोलिये ...(व्यवधान)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) : आपस में तय कर लिया है क्या? ...(व्यवधान)...

SHRI MD. SALIM ((West Bengal):It is a right precedent. ...*(Interruptions)*... If the Minister responds, we will welcome him. ...*(Interruptions)*... But, this trend should continue and it should not be selective. ...*(Interruptions)*..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There were a few occasions in the past when the Government responded. ...*(Interruptions)*...

श्रम मंत्री (श्री सत्य नारायण जटिया) :माननीय सभापति जी, जैसे कि जानकारी दी गई है कि जस्टिस राजकुमार सिंह मणिसाना वेतन आयोग पत्रकारों के संदर्भ में जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसमें समाचार पत्रों के समूह ने मुंबई हाईकोर्ट में जा कर के एक दरख्वास्त दी थी कि हमें भी सुनवाई का मौका दिया जाए । उसके आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनको अतिरिक्त समय सुनवाई का दिया गया । अब वह सुनवाई प्रायः इस महीने में पूरी हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट तैयार हो कर के सरकार के पास जब आएगी, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

Threat of abnormal hike in Power Tariff in cyclone affected areas of Orissa

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, with a heavy heart I rise to bring one issue to the notice of this august House and this is about the way in which a private power distribution company has responded in the aftermath of a super-cyclone in Orissa.

Sir, I will just quote from a statement of the C.E.O. of the group, which is supplying power to certain districts of Orissa. He said that the company, the Central Electricity Supply Company, which was supplying power to the districts of Bhubaneswar, Puri, Cuttack and Jagatsingpur, had incurred a loss of Rs. 300 crores due to the "super cyclone." As a result of that, they would to go to the regulatory authority in Orissa to hike the tariff by three